Major Achievements, significant Development and important events of Ministry of Home Affairs for the month of May, 2025.

1. During the month of May, 2025 the Hon'ble President of India assented to the following Bills:-

i. The Maharashtra Prevention of Dangerous Activities of Slumlords, Bootleggers, Drug-Offenders, Dangerous Persons, Video Pirates, Sand Smugglers and Persons engaged in Black-marketing of Essential Commodities (Amendment) Bill, 2018.
ii. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement (Assam Amendment) Bill, 2024.
iii. The Code of Civil Procedure (Karnataka Amendment) Bill, 2024.
iv. The Rajasthan Co-Operative Societies (Amendment) Bill, 2023.
v. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Karnataka Amendment) Bill, 2024.
vi. The Himachal Pradesh Police (Amendment) Bill, 2024.
vii. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Jharkhand Amendment) Bill, 2021.

2. Union Home Minister chaired various review meetings for implementation of New Criminal Laws with Delhi, Gujarat, Uttar Pradesh, Puducherry, Andhra Pradesh and Rajasthan in the month of May,2025.

3. Bhoomi Pujan of permanent campus and inauguration of Transit Campus of the National Forensic Sciences University in Nagpur, Maharashtra was done by Hon'ble Union Home Minister on 26.05.2025.

4. Union Home Minister performed Bhoomi Pujan of 'Swasti Nivas', which is being constructed for patients and their relatives in the premises of National Cancer Institute, Nagpur in Maharashtra.

5. Union Home Minister chaired a security review meeting on 07.05.2025 with the Chief Ministers and Lieutenant Governors of border states adjoining Pakistan and Nepal.

6. Union Home Minister inaugurated and laid foundation stone of various development projects of 'Ahmedabad Municipal Corporation' in Ahmedabad, Gujarat.

7. Union Home Minister inaugurated newly constructed building of Shri K.K. Patel and Smt. Madhuben K. Patel Nursing College in Mehsana, Gujarat.

8. Union Home Minister inaugurated and laid the foundation stone of various development works worth ₹ 708 crore in Gandhinagar, the capital of Gujarat and addresses the benefit distribution program of the Department of Posts.

9. The new Multi-Agency Centre (MAC) was inaugurated by the Hon'ble Union Home Minister at the North Block, New Delhi on 16.05.2025.

10. Hon'ble Union Home Minister launched a new Overseas Citizen of India (OCI) Portal on19.05.2025.

11. Union Home Minister distributed appointment letters on 30.05.2025 for government jobs to the families affected by the cross-border attack in Poonch, Jammu and Kashmir.

12. Achieved a historic success in the resolve of a 'Naxal-free India', security forces killed 31 Naxalites on 14.05.2025 in the biggest-ever operation against Naxalism at Karreguttalu Hill (KGH) on Chhattisgarh-Telangana border.

13. Indian Cybercrime Coordination Centre (I4C) has introduced the new e-Zero FIR initiative on 19.05.2025 to nab any criminal with unprecedented speed.

14. Surat Airport (Gujarat), Madurai Airport (Tamil Nadu), Kandia Seaport (Gujarat) and Dawki Land port (Meghalaya) have been taken over by Bureau of Immigration (BoI) from the concerned State Government. The notification in this regard has been issued on 19.05.2025.

15. E-visa facility has been implemented at Surat Airport (Gujarat) from 20.05.2025 onwards.

16. Hon'ble Home Minister chaired a meeting on the cleaning of Yamuna, drinking water, and sewage system in Delhi .

17. Meetings were convened to review the implementation of New Criminal Laws under the chairmanship of Union Home Secretary with MHA officials and States i.e. Gujarat and Uttar Pradesh on 06.05.2025, Assam on 07.05.2025, Rajasthan on 29.05.2025 respectively.

18. 534 Protected Area Permit (PAP) applications were granted in the month of May, 2025.

19. Financial/administrative powers delegated to the Hon'ble Administrators/LGs of the UTs without Legislature (i.e. UTs of A&NI, Chandigarh, DNH&DD, Ladakh & Lakshadweep) under the Delegation of Financial Powers Rules, 2024 for purchase of Laptops/Notebooks/Contract and Purchase as referred in Rule 11 of DFPR-2024.

20. The following approval were granted by MHA under Section 45-D of GNCTD Act, 1991: -

(i) Reconstitution of Permanent Lok Adalat-III for the post of 01 chairperson and 02 members.

(ii) Nomination of 01 member out of 02 members to the Board of Governors of NIT, Delhi.

21. The proposal for the reconstitution of Authority under Section 45(2) of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

22. Two Projects viz. 'Long Island' and 'Shaheed Dweep' were appraised by PPPAC (Public Prorate Partnership Appraisal Committee) and approval of the Competent Authority conveyed to implementing Agency.

23. On 16.05.2025, the Cabinet Committee on Security (CCS) approved the proposal for signing of Letter of Intent (LoI) between the National Security (NSG) and Group D Intervention DE LA Gendermerie Nationale (GIGN) of French Republic for Counter Terrorism Cooperation.

****

मई, 2025 के लिए गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और कार्यक्रम।

1. मई, 2025 के दौरान भारत के माननीय राष्ट्रपति ने निम्नलिखित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की:-

(क) महाराष्ट्र झुग्गी-झोपड़ी के मालिकों, शराब तस्करों, मादक पदार्थ अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों, वीडियो पाइरेट्स, रेत तस्करों और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी में लगे व्यक्तियों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2018

(ख) भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (असम संशोधन) विधेयक, 2024.

(ग) नागरिक प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2024

(घ) राजस्थान सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2023

(ङ) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2024.

(च) हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2024.

(छ) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021

2. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए मई, 2025 में दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के साथ विभिन्न समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की।

3. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 26.05.2025 को महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का भूमि पूजन और ट्रांजिट कैंपस का उद्घाटन किया।

4. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के परिसर में मरीजों और उनके परिजनों के लिए बनाए जा रहे 'स्वास्ति निवास' का भूमि पूजन किया।

5. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 07.05.2025 को पाकिस्तान और नेपाल से सटे सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

6. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में 'अहमदाबाद नगर निगम' की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

7. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात के मेहसाणा में श्री के.के. पटेल और श्रीमती मधुबेन के. पटेल नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया।

8. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ₹ 708 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया तथा डाक विभाग के लाभ वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया।

9. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 16.05.2025 को नए मल्टी-एजेंसी सेंटर (मैक) का उद्घाटन नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में किया।

10. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 19.05.2025 को एक नया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) पोर्टल लॉन्च किया।

11. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 30.05.2025 को जम्मू और कश्मीर के पुंछ में सीमा पार से हुए हमले से प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरित किए।

12. नक्सल मुक्त भारत के संकल्प में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टालू हिल (केजीएच) में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान में दिनांक 14.05.2025 को 31 नक्सलियों को मार गिराया।

13. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) ने किसी भी अपराधी को अति शीघ्र पकड़ने के लिए दिनांक 19.05.2025 को नई ई-जीरो एफआईआर पहल शुरू की है।

14. सूरत एयरपोर्ट (गुजरात), मदुरै एयरपोर्ट (तमिलनाडु), कंडिया सीपोर्ट (गुजरात) और डॉकी लैंड पोर्ट (मेघालय) को संबंधित राज्य सरकार से आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) ने अपने अधीन ले लिया है। इस संबंध में दिनांक 19.05.2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई है।

15. सूरत एयरपोर्ट (गुजरात) पर दिनांक 20.05.2025 से ई-वीजा सुविधा लागू कर दी गई है।

16. माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था पर दिल्ली में बैठक आयोजित की गई।

17. केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के अधिकारियों और राज्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें क्रमशः गुजरात और उत्तर प्रदेश में दिनांक 06.05.2025, असम में दिनांक 07.05.2025 और राजस्थान में दिनांक 29.05.2025 को बैठक हुई।

18. मई, 2025 के महीने में 534 संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) आवेदन स्वीकृत किए गए ।

19. वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम, 2024 के तहत डीएफपीआर-2024 के नियम 11 में उल्लिखित लैपटॉप/नोटबुक/अनुबंध और खरीद के लिए बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप) के माननीय प्रशासकों/उपराज्यपालों को वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियां सौंपी गई ।

20. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 45-घ के तहत गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अनुमोदन प्रदान किए गए है ;

(क) 01 अध्यक्ष और 02 सदस्यों के पद के लिए स्थायी लोक अदालत-III का पुनर्गठन।

(ख) एनआईटी, दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 02 सदस्यों में से 01 सदस्य का नामांकन।

21. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45(2) के अन्तर्गत प्राधिकरण के पुनर्गढन हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

22. दो परियोजनाओं अर्थात् 'लांग आइलैंड' और 'शहीद द्वीप' का मूल्यांकन पी.पी.पी.ए.सी. (पब्लिक प्रोरेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी) द्वारा किया गया है तथा कार्यान्वियन एजेंसी को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

23. दिनांक 16.05.2025 को, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) ने आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) और फ्रांसीसी गणराज्य के ग्रुप डी इंटरवेंशन डी ला जेंडरमेरी नेशनले (जीआईजीएन) के बीच आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

****